न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, गंगापुर सिटी

पीठासीन अधिकारी– सुदर्शन सिंह तोमर

क0सं0	प्रा0पत्रसं0	GCMS NO.	दर्ज दिनांक	उनवान	निर्णय दिनांक	कुल पृष्ठ
1	29/23	2023/39	21.12.2023	सरकार बनाम कमलेश खण्डेलवाल	07.04.2026	1 लगायत 4

पीठासीन अधिकारी :– **सुदर्शन सिंह तोमर (आर.ए.एस.)**

प्रकरण संख्या :– **29/2023 (2023/39)**

<u>उनवान प्रकरण</u>

1. **बबूलाल तगाया (खाद्य सुरक्षा अधिकारी) कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर। –**

आवेदक

बनाम

1. **श्री कमलेश खण्डेलवाल पुत्र श्री शिवचरण खण्डेलवाल (फर्म मालिक व विक्रेता) मैसर्स सोनू स्पेशल टिक्कड़ भण्डार माल गोदाम रोड गंगापुर सिटी निवासी कर्मचारी कॉलोनी गंगापुर सिटी मो0नं0 9460137039 । –**

अभियुक्त

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2 (ii)/51, 54 एफएसएस एक्ट 2006 एवं नियम 2011

<u>निर्णय</u> **दिनांक: 07.04.2026**

प्रकरण में तथ्या इस प्रकार है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 05.04.2023 को 04.45 पी.एम पर मोल गोदाम रोड गंगापुर सिटी स्थित मैसर्स सोनू स्पेशल टिक्कड भण्डार पर पहुंचा मौके पर एक व्यक्ति उपस्थित मिला जिससे अपना परिचय दिया व परिचय पत्र दिखाया। व्यक्ति ने अपना नाम कमलेश खण्डेलवाल पुत्र श्री शिवचरण खण्डेलवाल, निवासी कर्मचारी कॉलोनी गंगापुर सिटी सवाईमाधोपुर होना बताया एवं फर्म का मालिक एवं विक्रेता होना बताया। कमलेश खण्डेलवाल ने फर्म का खाद्य रजिस्ट्रेशन दिखाया जो कि न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। संस्थान का निरीक्षण करने पर पाया गया कि आम जनता को टिक्कड़ एवं सब्जी बनाने हेतु उपयोग में लिये जाने वाला रिफाइन्ड सोयाबीन तेल (लूज) में गुणवत्ता/मिलावट का अनदेशा होने पर वास्ते नमुना जॉच दुकान में एक टिन में रखे रिफाइन्ड सोयाबीन तेल (लूज) में से हिला मिलाकर 1 किलो 600 ग्राम रिफाइन्ड सोयाबीन तेल (लूज) एक स्टील की साफ बर्तन में खरीदकर उसकी कीमत 200/– रुपये विक्रेता को नगद अदा कर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर है तथा उपस्थित गवाहान लड्डू गोपाल के हस्ताक्षर करवाये एव तस्दीक कर स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। जी न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा । किलो 600 ग्राम रिफाइन्ड सोयाबीन तेल (लूज) को विक्रेता एवं गवाहान को चार खाली साफ एवं सूखी प्लास्टिक की बोतले दिखाकर उक्त खरीदशुदा रिफाइन्ड सोयाबीन तेल (लूज) [illegible] बोतलों में बराबर बराबर डाला एवं बोतली को ढक्कन लगाकर ऐयरटाईट बन्द किया तथा लेबल तैयार [illegible] लेबल पर चिपकाये और लेबलों पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी [illegible] माधोपुर के कोड एवं नमूना एच–2794 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर करायें। चारों नमूना भागों को अलग–2 खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप नं. एच–2794 नियमानुसार चारों नमूना भागो पर नीचे से ऊपर तक गोलाई में गोद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बाध कर नियमानुसार सील चपड़ी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आयें। चारो

Signature Not Verified
Digitally signed by Sudarshan Singh Tomar
Date: 2026.04.24 15:20:42 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
गंगापुर सिटी

नमूना भागो पर नियमानुसार गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर स्वयं परियादी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने तस्दीक कर हस्ताक्षर किये तथा चारों नमूना भागों को अपने जाप्तें में लिया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म सं. 5ए की प्रतियाँ एवं फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढ़कर, सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे कमलेश खण्डेलवाल (विक्रेता एवं प्रोपराईटर) ने भी पढ़कर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। फार्म सं. 5ए की एक प्रति श्री कमलेश खण्डेलवाल (विक्रेता एवं प्रोपराईटर) को देकर रसीद प्राप्त की। फार्म सं. 5ए एवं फर्द रिपोर्ट न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. छः की सात प्रतियाँ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर कर मुख्य खाद्य विश्लेषक राजस्थान जयपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। दो फॉर्म सं. 6 की प्रति अलग से एक लिफाफे में बन्द कर चपडी से सील मोहर कर मुख्य खाद्य विश्लेषक राजस्थान जयपुर को जमा कराकर फार्म सं. 6 की पुस्त पर रसीद प्राप्त की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। शेष दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की दो प्रतियों के आउटर कवर में सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर को जमा कराकर रसीदे प्राप्त की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

यह कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर के पत्र क्रमांक एफएसएसए/2023/721 दिनांक 08.05.2023 के द्वारा ज्ञात हुआ कि मुख्य खाद्य विश्लेषक, राज जयपुर से प्राप्त जांच रिर्पोट स. एलएस/1345/2023/1410 दिनांक 19.04.2023 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जाँच विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ रिफाइन्ड सोयाबीन तेल (लूज) Sub Standarad as it does not conform to the prescribed standards of Food Safety and standards ¼Food Products Standards and Food Additives½ Regulations 2011 due to Presence of eÛtaneous suspended matter- प्रकृति का होना पाया गया है। जाँच रिपोर्ट एवं पत्र न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

अभियुक्त द्वारा सबस्टेण्डर्ड रिफाइन्ड सोयाबीन तेल (लूज) का विक्रय/निर्माण करके खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2 (ii) का उल्लघंन किया है जिसका जुर्माना खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 में निर्धारित है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अभियुक्तगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अभियुक्त मय अधिवक्ता उपस्थित होने पर उभय पक्ष की बहस सुनी गईं।

प्रार्थी पक्ष ने दौराने बहस निवेदन किया कि अभियुक्त द्वारा सबस्टेण्डर्ड रिफाइन्ड सोयाबीन तेल (लूज) का विक्रय/निर्माण करके खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2 (ii) का उल्लघंन किया है जिसका जुर्माना खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 में निर्धारित है।

अभियुक्तगण के अधिवक्ता ने दौराने बहस निवेदन किया कि प्रार्थी जबाबदार एक छोटा दुकानदार है जिसके पास खादय पदार्थ विकय का लाईसेन्स है। उक्त प्रकरण में सेम्पलिंग की कार्यवाही श्री बाबूलाल तगाया द्वारा की गई है जो कि सेम्पलिंग की कार्यवाही करने के लिये सक्षम व्यक्ति नहीं है। उक्त श्री बाबूलाल तगाया द्वारा नियमों की अवहेलना की गयी है और गलत तरीके से खाली कागजों पर अभियुक्त के हस्ताक्षरों का दुरूपयोग करते हुये एक कागज को कैश मीमों का रूप दे दिया है। इस तरह भी उक्त कार्यवाही नियमानुसार नहीं होने व सक्षम व्यक्ति द्वारा नहीं होने के कारण ... जाने योग्य है तथा अभियुक्त स्पेशल सब्जी बनाने के लिए आलूओं को तेल में तलता है तथा ... आलू तलने के कारण आलूयों का भाग व कालापन आ जाता है। आवेदक द्वारा ... सील ... का सम्पेल नहीं लिया ग या है, साथ ही अभियुक्त के प्रति नरमी का रूख अपनाते हुए प्रकरण की कार्यवाही ड्रॉप फरमाने हेतु निवेदन किया है।

हमने उभयपक्षों की बहस का मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। मुख्य खाद्य विश्लेषक, राज, जयपुर से प्राप्त जांच रिर्पोट सं. एलएस/1345/2023/1410 दिनांक 19.04.2023 निम्नानुसार है:-

Signature Not Verified
Digitally signed by Sudarshan Singh
Date: 2026.04.24 16:20:42 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
गंगापुर सिटी

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, गंगापुर सिटी
मु0नं0 29/23 (2023/39) सरकार बनाम कमलेश खण्डेलवाल

Government of Rajasthan

STATE CENTRAL PUBLIC HEALTH LABORATORYJAIPUR, (RAJASTHAN)

Mandir Marg Sethi Colony, Jaipur-302004

FORM-VII A

Test Report of the Food Analyst

[See rule 2.4.2(5) and 2.4.4(6)]

अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वा. अधिकारी सवाई माधोपुर

NABL TC 8946

Report No. L.S. / 1345 / Act / 2023 / 1410 Date: 19-04-2023

Certified that I Pratibha Meena, Food Analyst duly appointed under the provisions of Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006), for Rajasthan state received from Sh. Babu Lal Taganya, Food Safety Officer O/O Chief Medical & Health Officer, Sawai Madhopur a sample of **"Refined Soyabean Oil"** bearing Code number and Serial number **H-2794** of Designated Officer cum Chief Medical & Health Officer of Sawai Madhopur area on **06-04-2023** for analysis.

The condition of seals on the container and the outer covering on receipt was as follows: The seals were intact and unbroken. The seals tallied with the specimen impression of the seal sent separately by the Food Safety Officer in sealed envelope by hand.

I found the sample to be **"Fats, Oils and Fat Emulsions"** falling under Regulation No. **2.2.1.14** of Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Additive) Regulations, 2011. The sample was in a condition fit for analysis and has been analysed on **17-04-2023 to 19-04-2023** and the result of its analysis is given below.

Analysis Report:-

(1) Sample description : - Sample is in a sealed and intact narrow mouth plastic bottle, sample collected from restaurant as mentioned by Food Safety Officer in form No. VI).

(2) Physical appearance : - Yellow coloured oil, **Blackish coloured suspended matter present.**

Sl. No	Quality Characteristics.	Nature of method of test used	Results.	Prescribed standards as per (a) As per provisions of the Act, and the rules and regulations made thereunder. (b) As per label declaration for Proprietary food.
1.	Butyro-refractometer reading at 40.0°C.	FSSAI MANUAL OFMETHODS OF OILS ANDFATSPRODUCTS 2021METHOD NO.FSSAI 02.003:2021:2021	61.8	58.5 to 68.0
2.	Saponification value.	FSSAI MANUAL OFMETHODS OF OILS ANDFATSPRODUCTS 2021METHOD NO. FSSAI 02.007:2021:2021	191.06	189.0 to 195.0
3.	Iodine value.	FSSAI MANUAL OFMETHODS OF OILS ANDFATSPRODUCTS 2021METHOD NO.FSSAI 02.010:2021:2021	126.9	120.0 to 141.0
4.	Acid value.	FSSAI MANUAL OFMETHODS OF OILS ANDFATSPRODUCTS 2021METHOD NO.FSSAI 02.009:2021:2021	0.33	Not more than 0.6
5.	Moisture.	FSSAI MANUAL OFMETHODS OF OILS ANDFATSPRODUCTS 2021METHOD NO.FSSAI 02.001:2021:2021	0.03%	Not exceed 0.10%
6.	Test for Argemone oil	FSSAI MANUAL OFMETHODS OF OILS ANDFATSPRODUCTS 2021METHOD NO. FSSAI 02.032:2021:2021	Negative	Negative
7.	Baudouin test.	FSSAI MANUAL OFMETHODS OF OILS ANDFATSPRODUCTS 2021METHODNO.FSSAI02.013:2021:2021	Negative	Negative
8.	Test for Mineral oil.	FSSAI MANUAL OFMETHODS OF OILS ANDFATSPRODUCTS 2021METHOD NO. FSSAI 02.030:2021:2021	Negative	Negative
9.	Extraneous suspended matter	Visual Examination (by Naked Eye)	Blackish coloured suspended matter found present.	Absent.
10.	Added colouring matter.	FSSAI MANUAL OFMETHODS OF FOODADDITIVES2016METHODNO.4.0:2016	Absent	Absent

Opinion-The sample of **"Refined Soyabean Oil"** bearing Code No. and Sr. No. H-2794 of Designated Officer cum Chief Medical & Health Officer, Sawai Madhopur is **Sub-standard** as it does not conform to the prescribed standards of Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Additives) Regulations, 2011 **due to presence of extraneous suspended matter.**

Signed this 19th day of April 2023

Food Analyst
(Authorized Signatory)
PRATIBHA MEENA
FOOD ANALYST, RAJASTHAN
STATE CENTRAL PUBLIC HEALTH LABORATORY
JAIPUR, RAJASTHAN

ADDRESS: DESIGNATED OFFICER CUM
Chief Medical & Health Officer, Sawai Madhopur

Copy to, COMMISSIONER OF FOOD SAFETY
Commissionerate of Food Safety and Drug Control,
A-Block, Swasthya Bhawan, Jaipur, Rajasthan

Signature Not Verified

Digitally signed by Sudarshan Singh Tomar
Date: 2026.04.24 16:20:42 IST
Reason: SelfAttested

उक्त रिपोर्ट के अनुसार अभियुक्त द्वारा विक्रय किया गया खाद्य रिफाइन्ड सोयाबीन तेल (लूज)) सबस्टेण्डर्ड प्रकृति का तदापि गुणावगुण पर सुनवाई उप[illegible] सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाकर प्रकरण इस प्रकार निर्णित किया जाना उचित समझते हैं।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

अतः अभियुक्त को खाद्य पदार्थ रिफाइन्ड सोयाबीन तेल (लूज)) सबस्टेण्डर्ड प्रकृति का विक्रय करने के कारण खाद्य सुरक्षा एंव मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 के तहत जुर्माना राशि 10,000 रूपये (अक्षरे–दस हजार रूपये), के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाता है। उक्त दण्ड की राशि अप्रार्थी आदेश तामील दिनांक से एक माह की अवधि में जरिये चालान 0210–04–800–03–00–25% STATE SHARE WHICH RECEVIED AGAINEST LICENCE FEE .में जरिये चालान जमा करवाकर रसीद पेश करें। पत्रावली को इसी स्तर पर निस्तारण किया जाकर निर्देशित किया जाता हैं कि अदम अनुपालना आदेश अभियुक्त सं0 1 के प्रतिष्ठान का मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सवाई माधोपुर द्वारा अनुज्ञप्ति रद्द की जावे तथा साथ ही आयुक्त नगर परिषद् गंगापुर सिटी द्वारा एक माह उपरान्त प्रतिष्ठान सील किये जाने की कार्यवाही की जावे तथा आदेश की तामील तहसीलदार गंगापुर सिटी द्वारा करवाई जाकर पालना प्रति न्यायालय में भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल में शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। प्रकरण नम्बर से कम किया जावे। निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

निर्णय आज दिनांक 07.04.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुदर्शन सिंह तोमर, RAS)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, गंगापुर सिटी

अतिरिक्त जिला ...
गंगापुर सिटी

Signature Not Verified

Digitally signed by Sudarshan Singh Tomar
Date: 2026.04.24 15:20:42 IST
Reason: SelfAttested